संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

छटवी मंजिल विन्ध्याचल भवन, मध्य प्रदेश भोपाल
दूरभाष 0755–2578491 फैक्स 2768159
E-Mail- rajyayojnahorti@mp.gov.in

क्रमांक / उद्यान / राज्य योजना / 09 / 2019–20 / 5189 भोपाल, दिनांक 13/7/19

प्रति,

उप / सहायक संचालक उद्यान,
जिला .....

विषयः– वर्ष 2019–20 के लिये राज्य पोषित फल पौध रोपण योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश।

संदर्भः– मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का पत्र क्रमांक / एफ–6–1 / 2019 / 58 दिनांक 20 जून, 2019

–:000:–

मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा संदर्भित पत्र द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशो के परिपालन में कार्यालयीन पत्र क्रमांक / 4273 दिनांक 18.06.2019 द्वारा जारी निर्देशों में संशोधन कर निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते है।

1. योजना का क्रियान्वयन जारी मार्गदर्शी निर्देश अनुसार किया जाये।
2. पूर्व में जारी निर्देशो द्वारा प्रथम आओ प्रथम पाओ के सिद्वान्त को समाप्त करते हुए कृषकों का चयन एवं क्रियान्वयन हेतु MPFSTS पोर्टल पर पंजीयन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
3. योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये।
4. किसान स्वयं अपने स्तर से ऑनलाईन पंजीयन कर सकेगा, इसके अतिरिक्त कार्यालय में प्राप्त आवेदनों को भी विकासखण्ड स्तर पर विभागीय अमले द्वारा ऑनलाईन पंजीयन करवाया जायेगा। कोई भी ऑफ लाईन आवेदन मान्य नहीं होगा ।
5. जिलों को आवंटित लक्ष्य से 50 प्रतिशत अधिक तक पंजीयन किया जा सकेगा।
6. पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन के पश्चात 07 दिवस के अंदर संबंधित ग्रा.उ.वि. अधि. / व.उ.वि.अधि. कृषक के प्रक्षेत्र का भ्रमण कर सिंचाई के साधन, भूमि का प्रकार, सिंचाई की पद्धति, सिंचाई जल की गुणवत्ता, भूमि में जलभराव एवं जल निकास की स्थिति, पहुॅचमार्ग की स्थिति, शहर से प्रक्षेत्र की दूरी, प्रक्षेत्र पर स्थापित अधोसंरचनाओं की स्थिति, किसान प्रक्षेत्र पर निवास करता है या शहर में, किसान की शिक्षा, किसान के पास उपलब्ध कृषि यंत्रों की स्थिति, किसान के पास कुल भूमि का रकबा (हेक्टेयर), उद्यानिकी फसलों का रकबा (हेक्टेयर), किसान के पास आय के अन्य साधन, किसान की सहमति आदि बिन्दुओं पर प्रतिवेदन जिला उद्यानिकी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। प्राप्त आवेदनों के आधार पर उपयुक्त आवेदन का चयन करते समय जिला अधिकारी पंजीयन की वरियता को ध्यान में रखेगा।

7. ग्रा.उ.वि.अधि./व.उ.वि.अधि. द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर जिला अधिकारी पात्र एवं उपयुक्त हितग्राहियों का चयन कर कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित कर आपत्ति आमंत्रित करेगा। 03 दिवस में आपत्ति प्राप्त न होने पर चयनित हितग्राहियों की सूची को अंतिम रूप से मान्य किया जायेगा। ऐसी प्रक्रिया अपनाते समय जिला अधिकारी ऐसे आवेदक किसानों को प्राथमिकता देगा जिन्होने विभाग की योजनाओं में पूर्व में कोई लाभ प्राप्त नहीं किया हो।
8. उप/सहायक संचालक उद्यान पात्र एवं उपयुक्त कृषकों की सूची की अनुशंसा निम्नानुसार गठित समिति से प्राप्त करेगाः–

– कलेक्टर	अध्यक्ष
– मुख्यकार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत	समन्वयक
– उप/सहायक संचालक उद्यान	सदस्य सचिव
– उप संचालक कृषि	सदस्य
– जिला प्रबन्धक, एम0 पी0 एग्रो	सदस्य

उप/सहायक संचालक उद्यान समिति उक्त अनुशंसित की गई कृषक सूची का अनुमोदन जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति से प्राप्त करेंगे।

9. जिला अधिकारी द्वारा पात्र हितग्राहियों को जिला उद्यानिकी प्रशिक्षण केन्द्र में 01 दिवसीय प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त चयनित एवं प्रशिक्षित पात्र हितग्राहियों को ही प्रशिक्षण समाप्ति के बाद 02 दिवस में लक्ष्य के अनुसार कार्यादेश/आशय पत्र ऑनलाईन जिला अधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे। कार्यादेश की वैधता 01 माह की रहेगी। चयनित हितग्राही द्वारा 01 माह की समयावधि में पौध रोपण की सूचना क्षेत्रीय ग्रा.उ.वि.अधि. द्वारा पोर्टल पर अपलोड की जायेगी। 01 माह की अवधि में पौध रोपण न करने की सूचना क्षेत्रीय ग्रा.उ.वि.अधि. से प्राप्त होने पर कार्यादेश/आशय पत्र निरस्त की कार्यवाही जिला अधिकारी द्वारा की जाकर आवेदन को सूचित किया जायेगा।
10. योजना में चयनित हितग्राहियों को, पौधे, उप/सहायक संचालक उद्यान, विभाग की शासकीय नर्सरी/फार्म से ही प्रदाय करेंगे। संबंधित संभाग तथा जिले के समीप के जिले (भले ही वह अन्य संभाग का हो) पौधे उपलब्ध न होने का एन. ओ.सी. संबंधित संयुक्त संचालकों से प्राप्त करेंगे। एन.ओ.सी. प्रदाय करने के उपरांत यदि संबंधित संभाग की किसी भी शासकीय नर्सरी/फर्म पर पौधे उपलब्ध होना पाये जाते है ऐसी स्थिति में गलत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के स्थिति में संबंधित संयुक्त संचालक ही जबावदेह होंगे। एन.ओ.सी. प्राप्त करने के उपरांत कृषक द्वारा पौधे एन.एच.बी. स्टार रेटिंग रोपणियॉ, जो विभाग द्वारा लाइसेन्स प्राप्त है, से स्वयं क्रय कर देयक प्रस्तुत करने पर सत्यापन उपरांत पौध रोपण मापदण्ड अनुसार पाये जाने पर अनुदान राशि का भुगतान कृषक के बैंक खाते में किया जावेगा।

यदि हितग्राही पौधों की व्यवस्था स्वयं नहीं कर पाता है, ऐसी स्थिति में पौधों की व्यवस्था एम.पी.एग्रो के माध्यम से की जावेगी। जिसका भुगतान हितग्राही के अनुदान राशि में से एम.पी.एग्रो को किया जावे।

11. कार्यादेश/आशय पत्र जारी करने के अधिकतम 02 माह के अंदर (पौधों की स्थिति के अनुसार) क्षेत्रीय ग्रा.उ.वि.अधि./व.उ.वि.अधि. मैदानी भ्रमण कर फसल का सत्यापन करेंगे तथा कृषक से पौधों की स्थिति के संबंध में परामर्शीय सेवा प्रदान करने के उपरान्त जिओ टेगिंग की कार्यवाही करेंगे। इस प्रक्रिया के दौरान हितग्राही की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये।
12. जिला अधिकारी 31 अक्टूबर, तक इस योजना के हितग्राहियों को लाभ पाने की स्थिति की समीक्षा मैदानी अमले के साथ पाक्षिक आधार पर करेंगे तथा जिला अधिकारी रेण्डम आधार पर जिले में भ्रमण कर योजना के हितग्राहियों से संपर्क कर योजना क्रियान्वयन की मैदानी स्थिति का आंकलन करेंगे तथा सुधारात्मक कदम उठायेंगे।

आयुक्त सह संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
मध्य प्रदेश भोपाल

क्रमांक/हार्टि/राज्य योजना/09/2019–20/5190 भोपाल, दिनांक 13/7/19

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. संयुक्त संचालक उद्यान, ... संभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. श्री सी.एस. श्रीवास्तव, उप महाप्रबंधक (आई.टी.) मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मालवीय नगर, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि निर्देशानुसार पोर्टल में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही करें, तथा किये गये संशोधन का अनुमोदन अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त किया जाये।

आयुक्त सह संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
मध्य प्रदेश भोपाल